

**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**  
**(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)**

आप.प्रकरण क्र. 714 / 2013

संस्थित दि.: 12 / 08 / 2013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

**विरुद्ध**

1. रामकिशोर पिता नान्हु उर्फ लुंगटी, उम्र 25 साल, जाति ढीमर,  
निवासी भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. परसराम पिता हीरालाल कावरे, उम्र 26 साल, जाति मरार,  
निवासी भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. मोलसिंह पिता स्व.ओरीलाल टेम्भरे, उम्र 53 साल, जाति पंवार,  
निवासी देवरी थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

**(आज दिनांक 30 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)**

(01) आरोपी रामकिशोर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 तथा आरोपी परसराम व मोलसिंह पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5 / 180, 146 / 196, 50(ख) / 177, 50(क) / 177 का आरोप है कि आरोपी रामकिशोर ने दिनांक 17.06.2013 को सुबह 09:00 बजे, ग्राम जानपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत मुरम रोड दिनेश मरकाम के घर के पास लोकमार्ग पर वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए.9912 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं चन्द्रेश को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की व वाहन को बिना वैध लायसेंस के एवं बिना बीमा कराये चलाते हुये पाया गया तथा आरोपी परसराम एवं मोलसिंह ने अपने स्वामित्व के वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए. 9912 को बिना वैध लायसेंस व बिना बीमा कराये चलवाया एवं उक्त वाहन को बिना

बैध अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति को चलाने हेतु दिया व उक्त वाहन के अंतरक/अंतरिती होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2013 को एम.एस.पी.अस्पताल मलाजखण्ड से अपराध तहरीर क्रमांक 14/13 की जांच में पाया गया कि फरियादी चन्द्रेश सुबह 09:00 बजे स्कूटी से जा रहा था तो ग्राम जानपुर में रामकिशोर के द्वारा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.9912 को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर चन्द्रेश को टक्कर मार दी। जिससे वह स्कूटी सहित गिर गया और उसे चोट आयी जिस पर अपराध क्रमांक 85/13 धारा 279, 337, 338 भा.दं. वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी रामकिशोर को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 427 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 3/181, 5/180, 146/196, 50(1)(क)/177 एवं 50(1)(ख)/177 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी रामकिशोर को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 व मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी परसराम व मोलसिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 50(ख)/177, 50(क)/177 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी रामकिशोर ने दिनांक 17.06.2013 को सुबह 09:00 बजे, ग्राम जानपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत मुरम रोड दिनेश मरकाम के घर के पास लोकमार्ग पर वाहन यामहा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.

9912 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी रामकिशोर ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए.9912 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाते हुये चन्द्रेष को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी रामकिशोर इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए.9912 को बिना वैध लायसेंस की चलाते हुये पाया गया ?

(4) क्या आरोपी रामकिशोर इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए.9912 को बिना वैध बीमा कराये चलाते हुये पाया गया ?

(5) क्या आरोपी परसराम एवं मोलसिंह ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी. 50—एम.ए.9912 को बिना वैध लायसेंस के चलवाया ?

(6) क्या आरोपी परसराम एवं मोलसिंह इसी दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए. 9912 को बिना बीमा कराये चलवाया ?

(7) क्या आरोपी परसराम एवं मोलसिंह इसी दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाहन यामहा मोटरयासकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए.

9912 को बिना वैध अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति को चलाने हेतु दिया ?

- (8) क्या आरोपी परसराम एवं मोलसिंह इसी दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के वाहन यामहा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.ए. 9912 के अंतरक/अंतरिती होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी चंद्रेश (अ.सा. 1) का कहना कि घटना वर्ष 2013 की जून माह की है। वह जानपुर से मोटरसाइकिल से अंरडीटोला आ रहा था। आरोपी रामकिशोर मोटरसाइकिल से आया और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे वह मोटरसाइकिल से गिर गया और बेहोश हो गया। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। दुर्घटना में उसे सिर, आंख के पास चोट आई थी। पुलिस ने उससे कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। मोटरसाइकिल दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी। नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन स्कूटी प्रदर्श पी-01 के अनुसार जप्त की थी।

(08) अभियोजन साक्षी मुकेश रंगारी (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 17.06.2013 को अस्पताल तहरीर की जांच पश्चात् अपराध क्रमांक 854/13 दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-10 है। उसने विवेचना के दौरान देवेन्द्र परते, देवसिंह, नान्हूसिंह, कन्हैया, चन्द्रेश के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 18.06.2013 को देवसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया



था। आरोपी रामकिशोर से एक मोटरसायकिल काले रंग की गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। चन्द्रेश से एक सिल्वर रंग की स्कूटी बिना नम्बर की गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। दिनांक 05.07.2013 को वाहन मालिक मोलसिंह टेम्परे से मोटरसायकिल एम.पी.50-एम.ए.9912 की रजिस्ट्रेशन गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। दिनांक 21.06.2013 को आरोपी रामकिशोर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था।

(09) अभियोजन साक्षी कृष्ण कुमार (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने दिनांक 29.07.2013 को थाना मलाजखण्ड के अपराध क्रमांक 85/13 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.9912 का परीक्षण किया था। वाहन के परीक्षण में उसने सामने का मास्क हेड लाईट एवं शाकप बार तथा लेकगार्ड टूटा हुआ पाया था वाहन चालू हालत में था। उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अलीम जिलानी (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 29.07.2013 को थाना मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 85/13 में दिनांक 04.07.2013 को जप्त शुदा मेस्ट्रो सिल्वर रंग की स्कूटी का मैकेनिकल परीक्षण किया था। मैकेनिकल परीक्षण में उसने वाहन चालू अवस्था में पाया था, बम्पर टूटा हुआ था, वाहन का चक्का भी टूटा हुआ था। उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.बाला (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 17 जून 2013 को मलाजखण्ड अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये आहत संदेश परते के चिकित्सीय परीक्षण में मुख, नाक, दाहिने पैर में चोट होना पायी थी एवं आहत के नाक से खून निकल रहा था तथा चोट गम्भीर प्रकृति की थी, इसलिये आहत को उसी दिनांक को हायर सेंटर रिफर किया था। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(11) अभियोजन साक्षी देवसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से 10 माह पुरानी सुबह 08:30 बजे ग्राम जानपुर में नहर के पुलिया के पास की है। चन्द्रेश उसकी स्कूटी से जानपुर स्कूल की ओर जा रहा था तो पुलिया के पास आरोपी रामकिशोर ने सामने से उसकी मोटरसायकिल को तेजगति से चलाते हुये चन्द्रेश की

मोटरसायकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से चन्द्रेश उसकी स्कूटी से गिर गया जिससे चन्द्रेश के मस्तक में चोट आयी और खून निकलने लगा तथा मुंह और दांत में भी चोट आयी थी। दुर्घटना आरोपी रामकिशोर की गलती से हुई।

(12) अभियोजन साक्षी नान्हूसिंह (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः माह पुरानी सुबह के 09:00 बजे ग्राम जानपुर की है। हल्ला की आवाज आयी आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर गया तो आरोपी रामकिशोर एवं फरियादी चन्द्रेश गिरा हुआ था। उसके बाद बहुत से लोग आ गये। फरियादी/आहत को देखा तो सिर से खून निकल रहा था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे नहीं मालूम। उसके सामने आहत चन्द्रेश से पुलिस ने एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। पुलिस ने क्षतिग्रस्त चन्द्रेश की वाहन का पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है।

(13) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र सिंह (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग आठ माह पुरानी सुबह 08-09 बजे की है। उसकी पत्नी ने उसे फोन से सूचना दी थी कि चन्द्रेश का एक्सीडेंट हो गया है। चन्द्रेश से पूछने पर उसने बताया कि वह उसके घर से स्कूटी से जा रहा था तो पुलिया के पास आरोपी रामकिशोर ने उसकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

(14) अभियोजन साक्षी कन्हैया (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना दिनांक 17.06.2013 को सुबह के 08:00 बजे वह उसके दोस्त रामकिशोर की मोटरसायकिल से उसके मामा के यहां जाने के लिये जानपुर से भण्डारपुर जा रहे थे। चन्द्रेश परते उसकी मोटरसायकिल को तेजगति से चलाते हुये लाया और उनकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी जिससे रामकिशोर के पैर और सिर में चोट आयी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि वह रामकिशोर के साथ मोटरसायकिल एम.पी.50-एम.ए.9912 पर बैठकर भण्डारपुर जा रहा था। पुलिया के पास चन्द्रेश को टक्कर मार दिया था और चन्द्रेश गिर गया था। किन्तु साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकिल को चलाकर चन्द्रेश को टक्कर मारी थी।

(15) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपीगण

निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपीगण को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(16) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(17) अभियोजन साक्षी चंद्रेश (अ.सा. 1) का कहना कि घटना वर्ष 2013 की जून माह की है। वह जानपुर से मोटरसायकिल से अंरडीटोला आ रहा था। आरोपी रामकिशोर मोटरसायकिल से आया और उसकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी जिससे वह मोटरसायकिल से गिर गया और बेहोश हो गया। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। दुर्घटना में उसे सिर, आंख के पास चोट आई थी। पुलिस ने उससे कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। मोटरसायकिल दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी। नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन स्कूटी प्रदर्श पी-01 के अनुसार जप्त की थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा तीन में बताया है कि जिस मोटरसायकिल से टक्कर हुई उसे कौन चला रहा था वह नहीं जानता। टक्कर मारने वाली मोटरसायकिल के नम्बर भी नहीं बता सकता। उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(18) अभियोजन साक्षी मुकेश रंगारी (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 17.06.2013 को अस्पताल तहरीर की जांच पश्चात् अपराध क्रमांक 854/13 दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-10 है। उसने विवेचना के दौरान देवेन्द्र परते, देवसिंह, नान्हूसिंह, कन्हैया, चन्द्रेश के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 18.06.2013 को देवसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। आरोपी रामकिशोर से एक मोटरसायकिल काले रंग की गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। चन्द्रेश से एक सिल्वर रंग की स्कूटी बिना नम्बर की गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। दिनांक 05.07.2013 को वाहन मालिक मोलसिंह टेम्भरे से मोटरसायकिल एम.पी. 50-एम.ए.9912 की रजिस्ट्रेशन गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08

तैयार किया था। दिनांक 21.06.2013 को आरोपी रामकिशोर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रदर्श पी-7 में देवीसिंह के अलावा अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है।

(19) अभियोजन साक्षी कृष्ण कुमार (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने दिनांक 29.07.2013 को थाना मलाजखण्ड के अपराध क्रमांक 85/13 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.9912 का परीक्षण किया था। वाहन के परीक्षण में उसने सामने का मास्क हेड लाईट एवं शाकप बार तथा लेकगार्ड टूटा हुआ पाया था वाहन चालू हालत में था। उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अलीम जिलानी (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 29.07.2013 को थाना मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 85/13 में दिनांक 04.07.2013 को जप्त शुदा मेस्ट्रो सिल्वर रंग की स्कूटी का मैकेनिकल परीक्षण किया था। मैकेनिकल परीक्षण में उसने वाहन चालू अवस्था में पाया था, बम्पर टूटा हुआ था, वाहन का चक्का भी टूटा हुआ था। उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(20) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.बाला (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 17 जून 2013 को मलाजखण्ड अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये आहत सन्देश परते के चिकित्सीय परीक्षण में मुख, नाक, दाहिने पैर में चोट होना पायी थी एवं आहत के नाक से खून निकल रहा था तथा चोट गम्भीर प्रकृति की थी, इसलिये आहत को उसी दिनांक को हायर सेंटर रिफर किया था। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(21) अभियोजन साक्षी देवसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से 10 माह पुरानी सुबह 08:30 बजे ग्राम जानपुर में नहर के पुलिया के पास की है। चन्द्रेश उसकी स्कूटी से जानपुर स्कूल की ओर जा रहा था तो पुलिया के पास आरोपी रामकिशोर ने सामने से उसकी मोटरसायकिल को तेजगति से चलाते हुये चन्द्रेश की मोटरसायकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से चन्द्रेश उसकी स्कूटी से गिर गया जिससे चन्द्रेश के मस्तक में चोट आयी और खून निकलने लगा तथा मुंह और दांत में भी चोट आयी थी। दुर्घटना आरोपी रामकिशोर की गलती से हुई। किन्तु साक्षी ने अपने



प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह उसकी बाड़ी में था। आवाज आई तब वह घटनास्थल पर गया था उसने घटना होते हुये नहीं देखी।

(22) अभियोजन साक्षी नान्हुसिंह (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग छः माह पुरानी सुबह के 09:00 बजे ग्राम जानपुर की है। हल्ला की आवाज आयी आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर गया तो आरोपी रामकिशोर एवं फरियादी चन्द्रेश गिरा हुआ था। उसके बाद बहुत से लोग आ गये। फरियादी/आहत को देखा तो सिर से खून निकल रहा था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे नहीं मालूम। उसके सामने आहत चन्द्रेश से पुलिस ने एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। पुलिस ने क्षतिग्रस्त चन्द्रेश की वाहन का पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने पुलिस को वाहन का नम्बर एम.पी.50-एम.ए.9912 नहीं बताया था। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(23) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र सिंह (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग आठ माह पुरानी सुबह 08-09 बजे की है। उसकी पत्नी ने उसे फोन से सूचना दी थी कि चन्द्रेश का एक्सीडेंट हो गया है। चन्द्रेश से पूछने पर उसने बताया कि वह उसके घर से स्कूटी से जा रहा था तो पुलिया के पास आरोपी रामकिशोर ने उसकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा दो में यह स्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई उसे इसकी जानकारी नहीं है। वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इसलिये घटना के संबंध में वह नहीं बता सकता।

(24) अभियोजन साक्षी कन्हैया (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना दिनांक 17.06.2013 को सुबह के 08:00 बजे वह उसके दोस्त रामकिशोर की मोटरसायकिल से उसके मामा के यहां जाने के लिये जानपुर से भण्डारपुर जा रहे थे। चन्द्रेश परते उसकी मोटरसायकिल को तेजगति से चलाते हुये लाया और उनकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी जिससे रामकिशोर के पैर और सिर में चोट आयी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि वह रामकिशोर के साथ मोटरसायकिल एम.पी.50-एम.ए.9912 पर बैठकर भण्डारपुर जा रहा था। पुलिया के पास चन्द्रेश को टक्कर मार दिया था और चन्द्रेश गिर गया था। किन्तु

साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकिल को चलाकर चन्द्रेश को टक्कर मारी थी।

(25) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी विवेचनाकर्ता एवं मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट से दुर्घटना में चन्द्रेश को घोर उपहति कारित होना तो परिलक्षित होता है। किन्तु फरियादी चन्द्रेश ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना के समय वाहन कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। वाहन के नम्बर भी उसने नहीं बताये थे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी कन्हैया (अ.सा. 6) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी चंद्रेश (अ.सा. 1), देवेन्द्र सिंह (अ.सा. 2), देवसिंह (अ.सा. 3), नान्हूसिंह (अ.सा. 7), के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में आरोपी रामकिशोर ने दिनांक 17.06.2013 को सुबह 09:00 बजे, ग्राम जानपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत मुरम रोड दिनेश मरकाम के घर के पास लोकमार्ग पर वाहन यामहा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.9912 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं चन्द्रेश को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की व वाहन को बिना वैध लायसेंस के एवं बिना बीमा कराये चलाते हुये पाया गया तथा आरोपी परसराम एवं मोलसिंह ने अपने स्वामित्व के वाहन यामहा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए. 9912 को बिना वैध लायसेंस व बिना बीमा कराये चलवाया एवं उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति को चलाने हेतु दिया व उक्त वाहन के अंतरक/अंतरिती होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(26) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी रामकिशोर ने दिनांक 17.06.2013 को सुबह 09:00 बजे, ग्राम जानपुर थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत मुरम रोड दिनेश मरकाम के घर के पास लोकमार्ग पर वाहन यामहा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.9912 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं चन्द्रेश को टक्कर मारकर घोर

उपहति कारित की व वाहन को बिना वैध लायसेंस के एवं बिना बीमा कराये चलाते हुये पाया गया तथा आरोपी परसराम एवं मोलसिंह ने अपने स्वामित्व के वाहन यामहा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.9912 को बिना वैध लायसेंस व बिना बीमा कराये चलवाया एवं उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति को चलाने हेतु दिया व उक्त वाहन के अंतरक/अंतरिती होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(27) परिणाम स्वरूप आरोपी रामकिशोर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 तथा आरोपी परसराम व मोलसिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 50(ख)/177, 50(क)/177 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(28) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(29) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.9912 तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)